


अभियोग / सार्वजनिक
 न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
 अलवर [राज०]

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही
3 ⁴ / ₁₈	<p>अभियोग/सार्वजनिक अपील/राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अवकाश देकर पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1.5.18 को पेश हो। वास्तु - बहस</p>
1 ⁵ / ₁₈	<p>पत्रावली पेश हुई। (अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित) बहस हेतु (अवकाश - धारा 205A) न्यायलिंग से समय दिया जाता है अतः पत्रावली वास्तु बहस दिनांक 31-5-18 को पेश हो।</p>
31 ⁵ / ₁₈	<p>अभियोग/सार्वजनिक अपील/राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अवकाश देकर पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20.6.18 को पेश हो। वास्तु - बहस</p>
20 ⁶ / ₁₈	<p>अभिभाषक अपील/रेस्पोंड उपस्थित/ पीठासीन अधिकारी आज अवकाश/देकर पर है अतः पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु दिनांक 16.8.18 को पेश हो।</p>
16 ⁸ / ₁₈	<p>पत्रावली पेश हुई। बार-बार (आवाज लगाकर) जाने के बाद भी न तो (अभि. अपील) और न ही स्वयं (अपीलांत) उपस्थित (आया)। अतः अपील (अपीलांत) (अदम्य पेशवी) (अदम्य हाजरी) से रजिस्ट्रार की जाती है। पत्रावली प्रेषित शुभारंभ लेकर न्यायलिंग से समय की आवृत्ति बाद त्वत्तः जाहता कारिल प्रकृत की जावे।</p>


 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
 राजस्व अपील अधिकारी, अलवर